



Phone-0120-2783617

Fax-0120-2783618

E-mail-dfogzb@gmail.com

कार्यालय प्रभागीय निदेशक सामाजिक वानिकी प्रभाग, गाजियाबाद।

पत्रांक: 2800 /14-1, दिनांक, गाजियाबाद ०९ नवम्बर, 2021

सेवा में,

वन संरक्षक/क्षेत्रीय निदेशक,
सामाजिक वानिकी मेरठ क्षेत्र,
मेरठ।

विषय:-

चौधरी चरण सिंह, कांवड़ सड़क मार्ग के निर्माण हेतु अपर गंगा कैनल की दायी पटरी किमी० चैनेज 51.910 से 163.40 तक जनपद मुजफ्फरनगर वन प्रभाग में 113.68 हे० संरक्षित वनभूमि, जनपद मेरठ वन प्रभाग में 84.6 हे० संरक्षित वन भूमि एवं गाजियाबाद वन प्रभाग में 54.7 हे० संरक्षित वन भूमि अर्थात् कुल 222.98 हे० संरक्षित वनभूमि के गैरवानिकी प्रयोग एवं मुजफ्फरनगर वन प्रभाग में 16873 वृक्ष, मेरठ वन प्रभाग में 66685 वृक्ष/पौध एवं गाजियाबाद वन प्रभाग में 4164 वृक्ष एवं 2500 पौधे अर्थात् कुल 1,12,722 वृक्षों/पौधों के पातन की अनुमति के सम्बन्ध में।

सन्दर्भ:-

- 1-भारत सरकार पर्यावरण, वन एवं जल वायु परिवर्तन मंत्रालय एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय लखनऊ का पत्रांक-8बी/यू०पी०/०६/221/2021/एफ०सी०/433 दिनांक 06.10.2021
- 2-मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी का पत्रांक-1175/11सी०- FP/UP/ROAD/121197/2021 दिनांक 07.10.2021
- 3-आपका पत्रांक- 1281/14-1 दिनांक 07.10.2021.

महोदय,

आपके सन्दर्भित पत्र से प्राप्त विषयक प्रकरण में भारत सरकार द्वारा वांछित सूचना निम्नानुसार प्रेषित है:-

क्र०सं०	वांछित सूचना	अनुपालन आख्या
(i)	During site inspection, certain work like pillar construction at three places in Ghaziabad district was observed. The DFO Ghaziabad, Meerut and Muzaffar Nagar need to submit a Site Inspection Report after inspecting and assessing the status of violation as per FCA guidelines. Further compliance in accordance with the guidelines with respect to violation is required.	उपरोक्त सन्दर्भित पत्र सं०-1 में स्थलीय निरीक्षण के महत्त्वपूर्ण बिन्दु सं०-1 में गाजियाबाद जनपद के अन्तर्गत पड़ने वाले प्रस्तावित परियोजना के क्षेत्रफल में तीन स्थलों पर पिलर्स जैसी संरचना का निर्माण कार्य देखा गया जिसके सम्बन्ध में दिनांक 23.10.2021 को अधोहस्ताक्षरी द्वारा अपर गंगा कैनल की दायी पटरी कि०मी० चैनेज मील 94.00 से 100.5 तक का निरीक्षण पुनः क्षेत्रीय वनाधिकारी, मांदिनगर रेंज एवं रेंज वन कार्मियों की उपस्थिति में किया गया। तीन स्थलों पर होने वाला निर्माण कार्य संरक्षित वन क्षेत्र में नहीं किया पाया गया। यह निर्माण कार्य मुख्यतः तीन पुलों से सम्बन्धित है जो कि नहर एवं सिंचाई विभाग की Cart Road के मध्य हैं। Cart Road की चौड़ाई खडजे सहित लगभग 450 मी० है तदोपरान्त संरक्षित वन क्षेत्र का क्षेत्रफल शुरू होता है। (फोटोग्राफस संलग्न हैं।)

		उक्त निर्माण कार्य में गैर सरकित क्षेत्र का प्रयोग होने के कारण FCA के प्राधिकारों का उल्लंघन वर्तमान में परीक्षित नहीं हुआ है। उक्त निर्माण कार्य में यदि FCA के प्राधिकारों का कोई भी उल्लंघन भविष्य में पाया जाता है तो न्यायोचित एवं नियमानुसार कार्यवाही तत्काल अमल में लायी जायेगी।																								
(ii)	<p>The are large number of trees standing in the middle of the PF, while the outer periphery towards farmer's land, it is almost blank. During the inspection, Irrigation department was of the view that road construction can be religned to the outer periphery of RHS of Upper Ganga Canal. This Suggestion sound pretty good because the average width of RHS all along is approx. 60 mt from the verm of the Canal. Following benefits will be prominently known like:</p> <p>a. If the alignment is shifted to extreme right side of the RHS, future encroachment of the irrigation department land will be protected.</p> <p>b. Secondly, farmers whose land will be adjoining to road, will have commercially valuable land and will be more useful.</p> <p>c. Thirdly, any commercial establishment will be functional without further approval from Govt. of India, as because all canal area is notified as PF. It was noticed that in the LHS, various commercial hotels/dhabas, Shops have been opened up and all has access through PF without Gol approval, which is a clear cut case of violation.</p> <p>d. Lastly, There is less number of trees standing in the periphery of all the RHS of Upper Ganga Cana, hence less number of trees will be felted. An estimation was sought from the State Forest Department of every district on RHS of existing and suggested alignment and the details are as under:</p> <table><tr><th>District</th><th>Place</th><th>Mile</th><th>No. of Trees In present alignment</th><th>No. of trees after changing the new alignment</th><th>Difference</th></tr><tr><td>Meerut</td><td>sardhana</td><td>74-78</td><td>1565</td><td>739</td><td>826</td></tr><tr><td></td><td>Rithani</td><td>81-82.2</td><td>1769</td><td>12.36</td><td>534</td></tr><tr><td>Ghaziabad</td><td>Modi Nagar</td><td>94-100.5</td><td>2281</td><td>1778</td><td>1360</td></tr></table>	District	Place	Mile	No. of Trees In present alignment	No. of trees after changing the new alignment	Difference	Meerut	sardhana	74-78	1565	739	826		Rithani	81-82.2	1769	12.36	534	Ghaziabad	Modi Nagar	94-100.5	2281	1778	1360	<p>सहमत है।</p> <p>सहमत है।</p> <p>अपर गंगा की बांयी पट्टरी पर बिना अनुमति के लगाये गये नितान्त अस्थायी अवैध खोको को क्षेत्रीय वन अधिकारी मोदीनगर द्वारा रेंज वन कर्मियों के साथ हटा दिया गया है। (फोटो) ग्राफ: संलग्न हैं।)</p> <p>गाजियाबाद वन प्रभाग में पूर्व संरक्षण के अनुसार 2281 पौधे हैं तथा वर्तमान बदले हुये संरक्षण के अनुसार 1778 पौधे आते हैं। जिनका अन्तर 2281-1778 = 503 है।</p>
District	Place	Mile	No. of Trees In present alignment	No. of trees after changing the new alignment	Difference																					
Meerut	sardhana	74-78	1565	739	826																					
	Rithani	81-82.2	1769	12.36	534																					
Ghaziabad	Modi Nagar	94-100.5	2281	1778	1360																					
(iii)	<p>There are Three nurseries 1 each in Ghaziabad, Meerut and Muzaffarnagr, 1 Mist chmber, 2 Boring and Boundaries Wall of the Forest department are existing in the present alignment.</p>	सहमत है।																								

अतः उप वन महा निरीक्षक (केन्द्रीय) पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय, लखनऊ के पत्र सं०-8बी/यू०पी०/०६/२२१/२०२१/एफ०सी०/४३३ दिनांक ०६.१०.२०२१ के अनुपालन में गाजियाबाद वन प्रभाग से सम्बन्धित वांछित सूचनाएँ/अभिलेख चार प्रतियाँ में संलग्न कर अग्रिम कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

संलग्न - उपरोक्तानुसार।

भवदीया,
05/11/2021
प्रभागीय निदेशक,
सामाजिक वानिकी प्रभाग,
गाजियाबाद।

संख्या 2300 / 147 / दिनांकित।

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

- 1) मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी, 17, राणा प्रताप मार्ग, उ०प्र० लखनऊ
- 2) मुख्य वन संरक्षक पश्चिमी क्षेत्र, उ०प्र०, मेरठ
- 3) अधिशासी अभियन्ता निर्माण खण्ड (बिल्डिंग) लोक निर्माण विभाग मेरठ

05/11/2021
प्रभागीय निदेशक,
सामाजिक वानिकी प्रभाग,
गाजियाबाद।



अपर गंग नहर मील 100 दायी पटरी
पटरी

अपर गंग नहर मील 97 दायी पटरी



Shot on vivo S1
AI Triple Camera

2021.10.23 13:04



अपार गंग नहर मील 94 दायी पटरी



Shot on vivo S1
AI Triple Camera

2021.10.23 13:19



Shot on vivo S1
AI Triple Camera

2021.10.21 13:28



Shot on vivo S1
AI Triple Camera

2021.10.21 13:31





